आदेश

जनपद अल्मोड़ा मे विकास खण्ड स्याल्दे के अर्न्तगत जौरासी से घन्याल मोटर मार्ग की लम्बाई 8.160 कि0मी0 के निर्माण से प्रभावित होने वाली 4.869 हैक्टयर वनभूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु दोगुनी क्षेत्रफल की **कुल–9.738 हैक्टयर** सिविल भूमि को नियमानुसार वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण मे हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने के सबंध मे प्रमुख सचिव, राजस्व अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या–2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010, दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 के द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुपालन मे उपरोक्त मोटरमार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली वनभूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु सिविल भूमि उपलब्ध कराये जाने के सबंध मे तहसीलदार स्याल्दे के पत्रांक ज्ञाप/र0का0/दिनांक 21 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रेषित तथा उप जिलाधिकारी, भिकियासैण/स्याल्दे द्वारा अग्रसारित प्रस्ताव पर याचक विभाग अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, सल्ट, जनपद अल्मोड़ा के पत्रांक 672/03 सी. दिनांक: 27.08.2018 के द्वारा प्रेषित किये गये प्रस्ताव के साथ निम्नवत: अभिलेखों सहित क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु दिनांक 05–03–2016 को चयनित की गई भूमि की संयुक्त निरीक्षण रिर्पोट, चयनित की गई भूमि की खतौनी, व खसरा एवं चयनित भूमि का मौका नक्शा एवं निर्धारित प्रारूप–2, तथा तहसीलदार स्याल्दे/उप जिलाधिकारी भिकियासैण/स्याल्दे की आख्या सहित अपर प्रमुख वन संरक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायू परिर्वतन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय न्यू0 फॉरेस्ट, देहरादून के पत्रांक 08बी/यू0सी0पी0/06/30/2016 एफ0सी0/1817,दिनांक: 06–02–2018 के द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के द्वारा निर्गत आदेश के आधार पर क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु ग्राम–उप्राडी राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र–खल्डुवा तहसील–स्याल्दे, के गै0ज0 वि0 ख0 खा0 संख्या–57 की श्रेणी–9(3)ड़ ''बंजर काबलि आवाद'' भूमि के पैमायसी खेत नम्बर–3251 रकवा 0.876 हैक्टयर, खेत नम्बर 3253 रकवा 0.844 हैक्टयर, खेत नम्बर 3255 रकवा 1.125 हैक्टयर, खेत नम्बर 3256 मध्य रकवा 0.554 हैक्टयर, खेत नम्बर 3257 रकवा 0.625 हैक्टयर, खेत नम्बर 3258 रकवा 0.503 हैक्टयर, खेत नम्बर 3261 रकवा 0.913 हैक्टयर, खेत नम्बर 1136 रकवा 0.898 हैक्टयर, खेत नम्बर 1138 रकवा 1.519 हैक्टयर, खेत नम्बर 1168 रकवा 0.919 हैक्टयर, खेत नम्बर 1191 रकवा 0.759 हैक्टयर एवं खेत नम्बर 1139 मध्ये रकवा 0.201 हैक्टयर अर्थात कुल 12 खेत नम्बरानें की कुल 9.738 हैक्टयर सिविल भूमि को उक्त प्रयोजन हेतु प्रस्तावित किया गया है। उक्तानुसार ही क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गई भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण मे नामान्तरित की जाती है। तहसीलदार स्याल्दे उक्तानुसार राजस्व अभिलेखों मे अमलदरामद करने उपरान्त खतौनी नकल की प्रति प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, अल्मोड़ा को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

(नितिन सिंह भदौरिया)
जिला अधिकारी,
अल्मोड़ा

कार्यालय जिला अधिकारी, अल्मोड़ा

संख्या– 36 /ग्यारह– 03 /2017–18, दिनांक: 04-10- ~~सितम्बर~~, 2018

प्रतिलिपि:निम्नाकिंतों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
2– अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा ।
3– उप जिलाधिकारी, भिकियासैण, जनपद अल्मोड़ा।
4– अधिशासी अभियन्ता,निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0,सल्ट जनपद अल्मोड़ा।
5– तहसीलदार, स्याल्दे को उक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषित।

फाईल

(नितिन सिंह भदौरिया)
जिला अधिकारी,
अल्मोड़ा